मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 26, 1941)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री कमल नाथ, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(2) श्रीमती इमरती देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 तथा

(ख) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

पटल पर रखेंगी.

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री उमंग सिंघार, वन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

(ख) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 तथा

(ग) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जिला-कटनी (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य, दतिया जिले में लूट एवं हत्या की घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कुणाल चौधरी, संजीव सिंह, विनय सक्सेना, सदस्य, बैतूल जिले सहित प्रदेश में पौधरोपण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले की जनपद पंचायत हेतु नवीन भवन स्वीकृत किये जाने,

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिला मुख्यालय से इन्दौर, ओंकारेश्वर एवं खण्डवा रेल्वे जंक्शन तक यात्रियों के लिये सुविधाजनक परिवहन की व्यवस्था किये जाने,

(3) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम जामुनिया में ट्यूबबेल खनन कराये जाने,

(4) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बिल्थारी एवं कोठिया के बीच माँ नर्मदा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(5) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम पंचायत गुलाना को नगर परिषद का दर्जा दिलाये जाने,

(6) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के उपनगर ग्वालटोली से जवाहर नगर नीमच की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(7) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम कतरवारा से ढडारी तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(8) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम झुर्रेमाल से शंकरपुर सेठिया तक रोड का निर्माण कराये जाने,

(9) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के शक्करवासा से त्रिवेणी शमशान तक रोड का निर्माण किये जाने,

(10) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले की पोहरी रोड से रामखेड़ी तक रोड का निर्माण कराये जाने,

(11) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम चंदोरिया में विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत कराये जाने,

(12) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज में बरहटा रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने,

(13) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के काकागंज वार्ड में शमशान घाट के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(14) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम पंचायत नान्दवेल के ग्राम अजनोटी को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,

(15) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम पंचायत मड़ियादो को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने,

(16) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम कोड़ियाखेड़ी में नेवज नदी पर रिटर्निंग गाईड वॉल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(17) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम हिनौता में शमशान घाट में रोड एवं समतलीकरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(18) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के मीनाक्षी चौक से रेल्वे फाटक तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने,

(19) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के कर्रापुर एवं मकरोनिया के शासकीय कन्या हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेण्ड्री में किये जाने,

(20) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के मुख्य मार्ग सालेटेकरी से कबीरधाम रघोली तक सड़क का निर्माण एवं बिजली व्यवस्था कराये जाने,

(21) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम हिनोतिया आलम पटवारी हल्का नं. 40 में स्थित निजी भूमि पर से पेयजल पाईप लाईन हटाये जाने,

(22) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम कुड़रा से मुख्य मार्ग तक पक्की सड़क का निर्माण किये जाने,

(23) श्री राजेश कुमार प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के गौरीहार में शासकीय महाविद्यालय खोलने,

(24) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम बिजुरिहा की सम्धिन नदी से नादों पहुँच मार्ग तक पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(25) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य, सतना जिले में नवीन पुस्तकालय भवन का निर्माण कराये जाने,

(26) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में नगरीय क्षेत्रों की अवैध कॉलोनियों में ऑफ लाईन भवन निर्माण की अनुज्ञा जारी कराये जाने तथा

(27) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले की महिदपुर नगर पालिका परिषद में ग्राम पंचायत भीमाखेड़ा को सम्मिलित करने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

- 3 -

5. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

6. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.

निर्धारित समय			
1 घण्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या 26	संस्कृति
		मांग संख्या 38	आयुष
		मांग संख्या 52	चिकित्सा शिक्षा.
2 घण्टे	(2)	मांग संख्या 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
		मांग संख्या 71	पर्यावरण.
2 घण्टे	(3)	मांग संख्या 23	जल संसाधन
		मांग संख्या 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
		मांग संख्या 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
2 घण्टे	(4)	मांग संख्या 3	पुलिस
		मांग संख्या 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या 5	जेल.
1 घण्टा 30 मि.	(5)	मांग संख्या 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
		मांग संख्या 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास
		मांग संख्या 63	अल्पसंख्यक कल्याण
		मांग संख्या 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 16 जुलाई, 2019